विशेष संदेशवाहक द्वारा

डा. एस. वाई. कुरैशी
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग

तारीख : 2 मार्च, 2012

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

कृपया भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आई आई आई डी ई एम) के संबंध में मेरे तारीख 18 जून, 2011 और 13 फरवरी, 2012 के पत्रों का अवलोकन करें।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी है कि आपकी सहायता से और सभी संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त सहयोग के कारण आई आई आई डी ई एम एक व्यवहार्य प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र के रूप में उभरा है तथा यह पूरे जोश से निर्वाचन प्रबंधन एवं संबंधित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के अपने लक्ष्यों का अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में समुचित बजटीय प्रावधानों से वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित निधियों का आबंटन एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयोग सरकार के प्रति आभारी है।

जहां तक सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में आई आई आई डी ई एम को पंजीकृत करने के हमारे पूर्व के प्रस्ताव का संबंध है, आयोग ने व्यय विभाग के साथ परामर्श, विधि एवं न्याय मंत्रालय से फीडबैक, पिछले आठ माह से संस्थान को निर्बाध चलाने के हमारे अपने अनुभव के बाद इस पहलू पर नए सिरे से विचार किया है।

वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा आई आई आई डी ई एम बहुत ही कम समय में सशक्त होता चला गया। इसके क्रियाकलाप सुचारू रूप से ईष्टतम गति से हुए हैं। हम स्वयं भारत निर्वाचन आयोग के ही महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के रूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में आई आई आई डी ई एम द्वारा प्राप्त प्रगति से काफी उत्साहित हैं। आयोग ने माना कि यदि नवजात संस्थान को सोसाइटी का रूप दिया जाता है तो कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा बल्कि इसके लिए प्रचालनात्मक अवरोधों की संभावना है।

इस प्रकार आयोग ने सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया है कि आई आई आई डी ई एम के लिए स्वायत्त सोसाइटी के सृजन संबंधी आयोग के प्रस्ताव को वापस लिया हुआ माना जाए।

हमें आपसे लगातार सहयोग प्राप्त होने का विश्वास है।

भवदीय

(एस. वाई. कुरैशी)

डॉ. मनमोहन सिंह
भारत के माननीय प्रधानमंत्री,
प्रधानमंत्री कार्यालय,
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।